



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 08 नवम्बर 2023

थाना नरौरा

जिला बदर शातिर अपराधी अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 07.11.2023 को थाना नरौरा पुलिस द्वारा एक जिला बदर अपराधी को कुशवाह मार्केट राजघाट के पास से अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसे मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 26-07-2023 को 06 माह की अवधि के लिये जिला बदर घोषित किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना नरौरा पर मुअसं-244/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 10 यूपी गुण्डा नियन्त्रण अधि0 पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. पुप्पेन्द्र उर्फ पूसी पुत्र ग्रीशचन्द्र निवासी ग्राम उदयगढी थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त पुप्पेन्द्र उर्फ पूसी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 475/18 धारा 356 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ ।
2. मु0अ0स0 488/18 धारा 356 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ ।
3. मु0अ0स0 534/18 धारा 392 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ ।
4. मु0अ0स0 538/18 धारा 392 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ ।
5. मु0अ0स0 542/18 धारा 392 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ ।
6. मु0अ0स0 543/18 धारा 398/401/411/414 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ ।
7. मु0अ0स0 544/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ ।
8. मु0अ0स0 599/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ ।
9. मु0अ0स0 14/21 धारा 307 भादवि थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर ।
10. मु0अ0स0 23/21 धारा 8/22बी एनडीपीएस एक्ट थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर ।
11. मु0अ0स0 24/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर ।
12. मु0अ0स0 33/21 धारा 379/411 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
13. मु0अ0स0 267/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर ।
14. मु0अ0स0 72/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर ।
15. मु0अ0स0 244/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 थाना नरौरा बुलन्दशहर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अतुल कुमार चौहान प्रभारी निरीक्षक थाना नरौरा
2. उ0नि0 प्रशान्त कुमार, उ0नि0 शिवकुमार रावत
4. का0 अरुनीश कुमार, का0राहुल कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर